21.1.2021	वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसील करौली को पालना हेतु लिखा जाकर मूल नामा० पत्रावली वापिस लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः— अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू.
09/2020	2019/00069	02.01.2020

1. भैरोंसिंह पुत्र जगन आयु 47 साल जाति खटीक निवासी करसाई तहसील व जिला करौली राज0

—वादी

बनाम

1. मेहन पुत्र जगन आयु 52 साल जाति खटीक निवासी करसाई तहसील करौली जिला करौली।
2. रमेश पुत्र मिसरया आयु 60 साल जाति खटीक निवासी करसाई तहसील करौली जिला करौली।
3. सुशीला पुत्री मिसरया आयु 52 साल जाति खटीक निवासी करसाई तहसील करौली जिला करौली।
4. जगदीश पुत्र कन्हैया आयु 60 साल जाति खटीक निवासी करसाई तहसील करौली जिला करौली।
5. रामचरण पुत्र कन्हैया आयु 58 साल जाति खटीक निवासी करसाई तहसील करौली जिला करौली।
6. हरीसिंह पुत्र कन्हैया आयु 50 साल जाति खटीक निवासी करसाई तहसील करौली जिला करौली।
7. शेरसिंह पुत्र कन्हैया आयु 45 जाति खटीक निवासी करसाई तहसील करौली जिला करौली।
8. पुष्पा पुत्र कन्हैया आयु 40 साल जाति खटीक निवासी करसाई तहसील करौली जिला करौली।
9. सरस्वती वेवा पत्नि कन्हैरूा जाति खटीक निवासी करसाई तहसील करौली जिला करौली।
10. सरपंच ग्राम पंचायत करसाई पंचायत समिति करौली तहसील करौली जिला करौली।

प्रतिवादीगण

अपील नामान्तकरण

:निर्णयः

दिनांकः 22.1.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि दिनांक 25.03.19189 अधि[illegible] ग्राम पंचायत करसाई खिलाफ कानून रूयेदार मिसिल है आरवेट्रेरी है पटव[illegible]द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम भैरोसिंह के [illegible] के स्थान पर जगन्या बिना आधार के अपीलान्ट को [illegible]स दिये दर्ज किया गया है। सजरा पटवारी हल्का द्वारा [illegible] नही लिया गया है और एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ही दिन में सारी कार्यवाही की जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत है अपीलान्ट का वास्तविक नाम भैरोसिंह है एवं अपीलान्ट के पिता का नाम जगन है समस्त कागजात पेनकार्ड आधार कार्ड राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में अपीलान्ट का सही नाम भैरोसिंह है एवं पिता का नाम जगन है अपीलान्ट का नाम पप्पू व पिता का नाम जगन्या नही है। जगन के पिता चिम्मन पुत्र गोपाल खटीक की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट के पिता जगन का नाम जगन्या दर्ज कर दिया गया जगन का स्वर्गवास हो चुका है। जगन की पत्नि मोती का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस अपीलान्ट व रेस्पोडेट न011 है। जैर अपील नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 20.08.2020 को जमाबन्दी की नकल लेने पर एवं दिनांक 04.09.2020 को नकल नामान्तकरण लेने पर हुयी जानकारी दिवस 20.08.2020 से अपील अपीलान्ट अन्दर प्रस्तुत की है। दिनांक 25.03.19189 से दिनांक 06.09.2020 तक की समय अवधि को कण्डोन करने के लिए धारा म्याद अधि0 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट न01 ता 09 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट का नाम व पिता का नाम नामान्तकरण में संशोधित किये जाने में कोई आपति नही होना स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तकरण तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट का वहस में कथन है कि पटवारी हल्का द्वारा मृतक चिम्मन पुत्र गोपाल खटीक पिता यह अपीलान्ट का विरासत नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट भैरोसिंह का नाम पप्पू व अपीलान्ट के पिता जगन्या बिना किसी आधार के बिना अपीलान्ट को सुने व ग्राम पंचायत से बिना सजरा प्रमाण पत्र लिये गलत दौर पर दर्ज कर एक दिन में सारी कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तकरण संख्या 402,दिनांक 25.03.1989 को ग्राम करसाई तहसील करौली जिला करौली स्वीकृत जैर अपील निर्णय से कराया है जो विधि विरूद्व है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम भैरोसिंह है एवं अपीलान्ट के पिता का नाम जगन है। अपीलान्ट के समस्त रिकार्ड पैनकार्ड आधार कार्ड एवं राशन कार्ड आदि मेमं अपीलान्ट का नमा भैरोसिंह व पिता का नाम जगन ही दर्ज है। अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण निरस्त किया जावें।

वहस वकील अपीलान्ट का मनन किया गया। पत्रवाली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया विरासत नामान्तकरण संख्या 402 ग्राम पंचायत करसाई दिनांक 25.03.1989 को पटवारी हल्का द्वारा चिम्मन पुत्र गोपाल खटीक का दर्ज किया गया है जिसमें अपीलान्ट के पिता जगन की मृत्यु दिनांक 05.03.1989 से पूर्ण हो जाने के वाद दर्ज किया गया है जिसमें अपीलान्ट ने स्वंय अपीलान्ट भैरोसिंह का नाम पप्पू व पिता का नाम जगन्या गलत दर्ज होना वताया है जबकि अपीलान्ट ने अपना सही नाम भैरोसिंह व पिता का नाम जगन होना बताया है इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने पत्रावली में अपीलान्ट का आधार कार्ड पैनकार्ड ड्राईविग लाईसेंस व पिता जगन के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिनमे अपीलान्ट का नाम भैरोसिंह व पिता का नाम जगन दर्ज है यह तथ्य जॉच योग्य होने से अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है

नामान्तकरण संख्या 402 दिनांक 25.03.1989 ग्राम करसाई तहसील करौली जिला करौली अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट 10 ग्राम पं. करसाई निरस्त किया जाता है पत्रावली तहसीलदार करौली को पुनः जांच हेतु रिमाण्ड की जाती है। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:44 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

करौली को निर्देशित किया जाती है कि वह एक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर पुनःअपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता के नाम की जॉच कर गुणावगुण पर निर्णय पारित कर नामान्तकरण के साक्ष्य तहसीलदार करौली जिला करौली को तहरीर के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner